MR. SPEAKER: I cannot decide anything here, I do not give my mind before I decide.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : You are imposing your personality by asking me to see you.

MR. SPEAKER : I am your friend. It reflects your love and affection.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Then kindly admit my Call Attention Motion.

MR. SPEAKER : Please come to me.

12.03 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following Message received from the Secretary-General of Rajya Sabha :—

"In accordance with the provision Rull 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Special Courts (Repeal) Bill, 1981, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 19th August, 1981.'

SPECIAL COURTS (REPEAL) BILL

As passed by Rajya Sabha.

SECRETARY : Sir. I lay on the Table of the House the Special Courts (Repeal) Bill, 1981, as passed by Rajya Sabha.

12.04 hrs.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

REPORTED MANUFACTURING AND MARKETING ON SPURIOUS PESTICIDES

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"नकली कीटनाशक दवाओं, जिनके प्रयोग से देश के विभिन्न भागों में कपास तथा अन्य फसलें नष्ट हो गई हैं, के निर्माण और बिक्री का समाचार ।"

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION AND CIVIL SUPPLIES (RAO BRINDRA SINGH) : Sir, Government is very much concerned that quality of pesticides, a vital agricultural input, should be effectively ensured

12.05 hrs.

Shri Harinatha Misra in the chair.

Attention of the Government has been drawn to a news item regarding a spurious pesticides racket in Delhi appearing in some sections of the press as a result of which cotton crop worth lakhs of Rupees is alleged to have been "ruined" in some Northern States. Facts of the case have been obtained from the Delhi Administration. We appreciate the effective action taken by them. As per report received from them, a factory in Shahadara was found manufacturing containers of a reputed pesticide. The premises

of this factory were raided and a sizable number of empty containers were recovered. On a clue furnished by the factory owner, another premises near Delhi-U.P. Border was searched and a large number of cans was recovered which were alleged to contain pesticides. Equipment and apparatus for filling, packing and sealing of tins were also recovered. A case under Section 63 of the Copy Right Act, 1957, Section 6 of the Poisons Act, 1919 and Section 420 of the Indian Penal Code has been registered. Three persons were arrested in this connection. The contents of the containers recovered by the Police are yet to be analysed.

The quantity or composition of spurious pesticide distributed in this particular case remains to be ascertained. Government have not received any report regarding any large scale damage to cotton or to other crop by use of spurious/ pesticides.

Effective procedure for control of quality of insecticides manufactured in the country has been laid down under the Insecticides Act, 1968 and rules framed thereunder. Insecticides are required to be registered under this Act and their technical specifications are scrutinised by a Registration Committee at the Central level keeping in view their chemical composition, bio-efficacy and safety to human beings and animals. Manufacture of registered insecticides is controlled under licences issued by the concerned State Governments. Similarly, licences are also issued to dealers in insecticides. Arrangements have also been made by the States for appointment of insecticides inspectors for enforcement of the Act with regard to quality control.

The State Governments have set up 26 laboratories with a capacity for analysing 30,000 samples per annum for this purpose. Three laboratories have also been set up by the Central Government at Faridabad, Hyderabad and Bombay with facilities for analysis of 2,000 samples per annum.

Not being satisfied with the status of quality control of pesticides we constituted 5 Survey Teams on zonal basis October 1980 for closer study of the position obtaining in different parts of the country. Reports of four of these Teams have already been received. The Team for the Central Zone covering the States of U.P., Bihar and Madhya Pradesh collected 98 samples of which 57 samples or about 58% of the total samples taken, were found sub-standard. The Team for the Northern Zone covering the States of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and the Union Territories of Delhi and Chandigarh took 33 samples of which 7 samples or 21% were found sub-standard. The four Teams have reported that on the whole enforcement of the Insecticide Act needs to be more vigorously pursued by the concerned State Governments. They have also recommended that quality control arrangements need to be considerably strengthened by appointment of full time staff, provision of more laboratories and training of various functionaries. The Reports have been sent to the Chief Secretaries of the concerned States for immediate remedial action pending detailed examination. They have also been requested to bring the Reports to the Notice of the Chief Ministers and Agriculture Ministers.

During the Sixth Five-Year Plan, six additional insecticides laboratories are being set up by the States. In addition, the Central Government proposes to set up five more laboratories in different regions of the country for analysing pesticides samples. A quality control enforcement Cell with five regional units is being set up to conduct surprise checks at the manufacturing and retail points in different areas in the country. Each Unit will have the assistance of police personnel, pesticides inspectors and legal adviser. It is hoped that this organisation proposed to be set up by the Central

Government will further strengthen the arrangements for quality control of insecticides.

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, अभी मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट पढ़ कर सुनाया है उसमें से चार-पांच प्रश्न निकलते हैं। पहले तो उन्होंने कहा है कि अभी तक जितना नुकसान हुआ है उसकी जानकारी अभी तक उनको नहीं मिल पायी है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजीकृत कीटनाशी दवाओं के विनिर्माण पर सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए लाइसेन्स के तहत नियन्त्रण रखा जाता है।

फिर उन्होंने आगे आकर कहा कि विश्लेषण के लिए राज्य सरकारों ने 26 प्रयोगशालाएं स्थापित कर रखी है जिनकी प्रतिवर्ष 30 हजार नमूनों का विश्लेषण करने की क्षमता है।

सभापति महोदय, मैं जरा अस्वस्थ हूं, इस लिए संक्षेप में ही पूछूंगा।

सभापति महोदय : क्या आप बैठ कर पूछना चाहेंगे ?

श्री राम विलास पासवान : नहीं, मैं ऐसे ही पूछूंगा, बाकी सवाल मेरे अन्य साथी पूछ लेंगे।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कीटनाशी दवाओं की मांग कितनी है और उसकी कुल कितनी उत्पादन क्षमता है। और यदि उत्पादन क्षमता पर्याप्त नहीं है तो क्या सरकार उसको बढ़ाने के लिए कुछ कर रही है ?

दूसरे सरकार को नकली कीटनाशी दवाओं की जानकारी कब मिली। अभी यह जो खबर निकली है टाइम्स आफ इण्डिया में और दो-तीन दिन पहले नवभारत टाइम्स में भी थी। आज का जो टाइम्स आफ इण्डिया है इसमें बड़ी गम्भीर बात निकली है। कीटनाशी दवाओं के मामले में आप इस में पढ़ेंगे तो लिखा है कि एम० एन० सी० डम्पिंग डेडली पेस्टीसाइड्स इन इण्डिया। इसमें आप यह भी पढ़ेंगे कि जहरीली कीट नाशक दवाइयों से प्रति वर्ष पांच लाख लोग कैंसर से ग्रस्त होते हैं। आपके जो भी प्रोग्रेसिव केस हैं उनके लिए आपने उनका उत्पादन बन्द किया है। पहले आपने बहुत लोगों को लायसेंस दिये। एक तरफ तो आप जहरीली नकली दवाओं के लायसेंस देते हैं और दूसरी तरफ नकली कीटनाशक दवाओं के सम्बन्ध में बराबर अखबार में निकलता रहता है। यह आपकी जानकारी में है और आपने राज्य सरकारों को भी लिखा है लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया।

इस लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत सरकार की नालिज में यह बात कब आयी है कि नकली कीटनाशक दवाइयां तैयार की जा रही हैं और उनकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या उपाय किये ?

फिर आपने कहा कि कीटनाशक दवाइयों के सम्बन्ध में कानून हैं। क्या उन कानूनों पर अभी तक कोई अमल किया गया और कितने लोगों को अभी तक इनके अन्तर्गत सजा दी गई है ?

सभापति जी, आपकी इजाजत से मैं एक चीज बतलाता हूँ। 1979-80 में तीन राज्यों में कीटनाशक दवाओं के 385 नमूने एकत्रित किए गए। उन 385 नमूनों में से 134 की जांच की गई। मैं जानना चाहता हूं कि उन 385 की जांच क्यों नहीं की गई ? 134 में से 44 घटिया किस्म के पाये गये और उन 44 में से 13 मामलों में अदा-

[श्री राम विलास पासवान]

लती कार्यवाही की गई। इसी तरह 1980-81 में 377 नमूने एकत्रित किए गए। उनमें से 146 की इन्होंने जांच कराई और उसमें से 30 नकली पाए गए और 4 के बारे में कार्यवाही की गई।

मैं जानना चाहता हूं कि एकत्र नमूनों में से एक तिहाई की जांच करवाई जाती है और फिर घटिया पाए गए नमूनों में एक तिहाई से भी कम पर कार्यवाही की जाती है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इनका क्या कारण है।

सभापति महोदय : जब मामले अदालत में गए ही नहीं तो उन पर कार्यवाही न होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामविलास पासवान : कई जगह एडवांस कंट्रीज में जहरीली दवाओं के लाइसेंस देने पर बंदिश है, लेकिन यहां पर लाइसेंस दिए जाते हैं—इसकी क्या वजह है।

राव वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, जो जानकारी प्राप्त की गई है वह सर्वे कारवाकर प्राप्त की गई है, इसके पहले पूरी जानकारी नहीं थी, तो आप इस बात की तारीफ तो करते कि हमने यह कदम उठाए हैं। यह जानकारी हमको टीम की रिपोर्ट आने के बाद मिली है।

जब से हमारी सरकार बनी, तब से मैने कहना शुरू किया पेस्टीसाइड्स तैयार करने वाली कंपनियों को, राज्य सरकारों को, राज्यों के कृषि संचालकों को कि मुझे शुबहा है कि पेस्टीसाइड्स, इंसेक्टीसाइड्स और फर्टीलाइजर के अन्दर मिलावट होती है। कसान के साथ यह धोखा नहीं चलने दिया जाएगा। जब मुझे तसल्ली हो गई कि पूरे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं तब मैंने 5 सर्वे टीम मुकरर कीं, सारे देश की जोन्स बनाकर और उनकी रिपोर्ट सितम्बर तक आनी थी। चार टीमों की रिपोर्ट आ गई है और उनके द्वारा दी गई जानकारी ही मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। यह जानकारी हमने इसलिए हासिल की है, ताकि हम स्टेट-गवर्नमेंट को दबाकर कह सकें कि यह खराबी है और इसको दूर कीजिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : (भीलवाड़ा) जो चार रिपोर्टें आई हैं, जिनके खिलाफ है, उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई है?

राव वीरेन्द्र सिंह : वे सारी रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी है, इसके बाद भी यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो मैं बताने के लिए तैयार हूं।

इंसेक्टीसाइड-एक्ट का एनफोर्समैंट स्टेट गवर्नमैंट के हाथ में है। मैनुफैक्चर, फारमूलेशन, सब चीजें स्टेट गवर्नमैंट के हाथ में है। सैन्ट्रल गवर्नमैंट की सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कमेटी है जो सिर्फ इतना काम करती है कि जो एप्लीकेशन्स आती हैं कि हम कीटनाशक दवाएं तैयार करना चाहते हैं, उस दवा की पूरी-पूरी जानकारी करती है कि यह दवा लोगों पर, फसलों पर या फसलों की सहायता करने वाले कीड़ों पर बुरा असर तो नहीं डालेगी। यह सब तसल्ली हो जाने के बाद कमेटी रजिस्ट्रेशन करती है और उसके स्टेट-गवर्नमैंट लाइसेंस देती है। एन्फोर्समैंट का काम है।

हमने यह कायदा बनाया है कि एक टन दवा के इस्तेमाल के पीछे एक सैंपल लिया जाएगा, उसका एनालिसस कराया जाएगा और देखा जाएगा कि किस किस्म की दवाई बनाकर बेची जा रही है।

सर्वे टीम की रिपोर्ट के अनुसार कई राज्य सरकारों ने प्रयोगशालाएं भी बना ली हैं। कितने सैम्पल लिए गए, कितनों की जांच की गई, कितने केसेस पेंडिंग हैं—ये सारी जानकारी हमने राज्यों से प्राप्त करके आपको दी है। इस काम को और सख्त करने की कोशिश की जा रही है। जिन राज्यों में प्रयोगशालायें नहीं बनाई गई हैं, उनको बनाने के लिए लिखा गया है और केन्द्र सरकार की तरफ से भी 3 प्रयोगशालाएं कायम की गई हैं और 5 प्रयोगशालाएं और रीजनल तौर पर कायम की जा रही हैं।

हमने तजवीज की है कि एन्फोर्समेंट का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगा, तब तक हम इस एक्ट को पूरी तरह से हिन्दुस्तान में लागू नहीं कर सकते।

हमारा प्रोपोजल है कि सेंट्रल गवर्नमैन्ट का एनफोर्समेंट स्टाफ होना चाहिये, उसके साथ पुलिस भी होनी चाहिये, उसके साथ हमारे इन्स्पेक्टर भी होने चाहियें। हम इस की तजवीज कर रहे हैं। अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब की मेहरबानी हो जाएगी तो जल्दी ही हम इस सब का इंतजाम कर लेंगे कि किसानों को स्पूरियस इंसैक्टेसाइड्स और स्पूरियस फर्टिलाइजर न मिलने पाए। इससे न केवल किसान का जाती नुकसान होता है बल्कि यह नैशनल लास है।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : क्या ऐसे मुजरिमों के खिलाफ सिक्योरिटी एक्ट का भी आप इस्तेमाल करेंगे जो न केवल मिलावटी दवाइयां बनाते हैं बल्कि जमानत पर भी आसानी से छूट जाते हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : ये सब दवाइयां एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में आती हैं। उसका और एमेंडिंग बिल भी आपके सामने पेंडिंग है। इसके बाद यह कानून इतना सख्त बन जाएगा कि हर एक आदमी को सीधा करना सरकार के लिए आसान हो जाएगा। इसमें सिक्योरिटी एक्ट भी लग सकता है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अन्दर भी कार्रवाई हो सकती है। जैसा स्पीकर साहब ने कल कहा था वाकई ऐसा करना देशद्रोहियों का काम है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : कितने आदमियों को कनविक्ट किया गया है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : राजस्थान के अन्दर तो कोई सैम्पल ही नहीं उठाया गया। सैम्पल हम नहीं उठाते हैं। हम ने तो आउट आफ दी वे जा करके सारे देश का सर्वे कराया है, हमने दिखाया है कि स्टेट्स काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। आप इलजाम हमारे ऊपर लगा रहे है। मैं आप को बता रहा हूं कि हमने कितना काम किया है। कुछ तारीफ करना भी सीखो जो काम हो रहा है।

सजायाब होने का जहां तक सवाल है प्रासीक्यूशंज के ऊपर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं और देख रहे हैं कि प्रासीक्यूशंज के ऊपर ध्यान दिया जाए ताकि कोई दोषी आदमी बच कर न निकलने पाए। लेकिन माननीय सदस्य तो यह दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है और वह ज्यादा उत्सुक हैं।

खपत के बारे में भी पूछा गया है। पैस्टीसाइडज और इंसैक्टीसाइड्ज की 58000 टन टैक्नीकल ग्रेड मैटीरियल की खपत है इसमें से छः हजार टन के करीब बाहर से आता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से मांगने की जरूरत ही न पड़े और इस वास्ते हम प्रोडक्शन देश में बढ़ा रहे हैं। इन्स्टाल्ड कैपेसिटी 70,000 टन की है। जितनी

[राव बीरेन्द्र सिंह]

कैपेसिटी है उससे ज्यादा इन्स्टाल्ड कैपेसिटी बन चुकी है। लाइसैंस्ड कैपेसिटी ग्रस्सी हजार टन की है। कुछ लैटर्ज ग्राफ इंटेंट इशू हो चुके हैं। जिससे ग्रठारह हजार टन की कैपेसिटी ग्रौर बन जाएगी। यह जल्दी हो जाएगा। लाइसैंस की कमी नहीं है। ये स्टेट गवर्नमैन्ट्स देती है। सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट की कोशिश है कि उन के ऊपर कुछ निगाह रखी जाए ग्रौर देखा गया कि पूरा ग्रमल होता है या नहीं होता है।

आज के ग्रखबार पढ़ कर माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितना नुकसान होता है क्योंकि कुछ दवाइयों को बाहर के मुल्कों ने बन्द कर दिया है, उनका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं समझा है। जिनका ग्राप जिक्र कर रहे हैं उन में बी एच सी है, डी डी टी है, मैलाथियान है। लेकिन वर्ल्ड हैल्थ ग्रार्गेनाइजेशन ने इनको मुज़िर नही बताया है उतना जितना ग्राप बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इनसे नुकसान नहीं है। उन्होंने मना नहीं किया है इनके इस्तेमाल को। जब तक हमें ग्रौर कोई ग्रच्छा सबस्टीट्यूट दस्तयाब न हो जाए उस वक्त तक इन दवाइयों का इस्तेमाल जारी रहेगा। किसान इस बात को जानता है कि ये दवाइयां काफी कारगर हैं खेती के मामले में। एंटी मलेरिया मैशर्ज जो हैं उन में डी डी टी ग्रौर बी एच सी बहुत............

श्री राम विलास पासवान : डब्ल्यू एच ग्रो की रिपोर्ट है कि पांच लाख लोग प्रतिवर्ष इसके शिकार हो रहे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने उसी की रिपोर्ट के ग्राधार पर कहा है कि उन्होंने मुमानियत नहीं की है ग्रौर उन्होंने इनको सेफ बताया है।

दूसरी बात समझने की यह है कि यह दवाइयां ज्यादा सख्त होती हैं, गाढ़ी होती हैं ग्रगर इनको एंटी मलेरिया काम के लिये इस्तेमाल किया जाय। लेकिन खेती के मामले में इनको बहुत हल्का बना कर इस्तेमाल किया जाता है। तो खेती के मामले में ज्यादा नुकसानदेह हो ही नहीं सकता है।

इसके साथ साथ एक बात ग्रौर है जहां यूरप में 1790 ग्राम पर हैक्टर ऐवरेज इस्तेमाल है ऐसी दवाइयों का वहां हमारे यहां 300 ग्राम पर हैक्टर ही है इंसैक्टीसाइट्स ग्रौर पैस्टीसाइड्स का। खेती में हमारे यहां इन दवाइयों का कम इस्तेमाल होता है। यूरप में 1790 ग्राम ग्रौर जापान में 9000 ग्राम पर हैक्टर इनकी खपत है। तो जापान में ग्रादमी नहीं मरे, पेड़ नहीं सूखे तो ग्रापको सिर्फ 300 ग्राम से फिक्र नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कदम हमने उठाये हैं उनसे हालात बेहतर बनेंगे। हम सम्हालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस बात से सहमत हूं, ग्रापका शुक्रिया ग्रदा करता हूं कि ग्रापने इस मामले के ग्रन्दर दिलचस्पी लेकर यह काल ग्रटेंशन यहां पेश करके सारे देश का, हमारे ग्रफसरों का, कारखानेदारों का दवाइयां तैयार करने वालों का ध्यान ग्राकर्षित कराया है।

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, ग्राप हमसे सहमत होंगे मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा है कि कितने नमूने लिये गये ग्रौर उनमें से कितनों की जांच की गई ग्रौर कितनों में ग्रदालती कार्यवाही की गई, ग्रौर कितने लोग मुजरिम पाये गये। मैं चाहता था कि गृह मंत्री जी यहां इस समय रहते क्योंकि यह मामला बहुत पहले से चल रहा है। ग्राप कहते हैं कि हमारा ग्रधिकार क्षेत्र सीमित है ग्रौर ऐनफोर्समेंट स्टेट गवर्नमेंट के

पास है। तो एक तिहाई कार्यवाही और एक तिहाई नमूनों को ही जांच के लिये भेजे जाना इसके पीछे क्या राज़ है ? और कितने लोग मुजरिम पाये गये इसकी जानकारी तो आप दे सकते हैं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : सभापति जी, एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय : नियम के अनुसार जिनके नाम हैं वहीं पूछे सकते हैं।

श्री राम सिंह यादव : आपने जो सब्सिडी दी है पैंस्टीसाइड्स खरीदने के लिये उसको कैसे वसूल करेंगे। क्योंकि पैंस्टीसाइड्स नकली निकले, तो वह रुपया आप कैसे वसूल करेंगे ?

सभापति महोदय : आप स्वयं राजस्थान में उपाध्यक्ष रह चुके हैं और यह नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जिनके नाम हैं वही सवाल पूछ सकते हैं। दूसरे सदस्य कोई पूरक प्रश्न पूछें या किसी तरह का सवाल करें यह मुमकिन नहीं है।

SHRI RAM PYARE PANIKA (Robertsganj) : If there is any misconception, the Member has every right to ask for a clarification from the Minister or the concerned Member.

MR. CHAIRMAN : Only if and when the Member concerned wants clarification on any issue, Otherwise, it is not a free debate. Anyway, I call now Shri Dhanik Lal Mandal.

श्री राम विलास पासवान : मेरा जबाब तो दिलाइये।

सभापति महोदय : वह नहीं दे रहे है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सभापति जी, आप ही पूछ लीजिये कि कितने लोगों ने फर्जी दवाई बनायी और लोगों को दवाइयां खरीदने के लिये कितनी सब्सिडी दी ?

सभापति महोदय : अभी तो विषय चल ही रहा है। आवश्यकता होगी……

श्री गिरधारी लाल व्यास : करोड़ों रुपये की सब्सिडी दी गई आप पूछिये तो सही।

सभापति महोदय : आवश्यकता पड़ेगी और सदन का मैं रुख देखूंगा तो आपका सभापति उसमें पीछे नहीं रहेगा।

श्री राम विलास पासवान : कितने लोगों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही हुई, कितने लोग दोषी पाये गये, यह तो मंत्री महोदय जवाब दे सकते हैं, यह मेरा प्रश्न है।

राव वीरेन्द्र सिंह : क्या प्रश्न है ?

श्री राम विलास पासवान : एक तिहाई नमूने की ही जांच वहां की गई है, और एक-तिहाई ही अदालत में वहां भेजे गये हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : कौन सी स्टेट का पूछ रहे हैं ?

श्री राम विलास पासवान : सब में ही एक-तिहाई भेजे गये हैं, किसी में टोटल नहीं भेजे गये है।

राव वीरेन्द्र सिंह : सब में ही 1-3 भी नहीं भेजे गये हैं।

श्री राम विलास पासवान : क्यों नहीं भेजे गये ?

राव वीरेन्द्र सिंह : क्यों नहीं भेजे गये, वही तो पूछ रहे हैं। 1979-80 में 24,000 सैम्पल इकट्ठे किये गये और उन में से 1095 सब-स्टैंडर्ड पाये और

प्रासीक्यूशन सिर्फ 267 केसेज में हुआ है। यह तो 1-3 भी नहीं हुआ, यह मैं मानता हूं।

श्री राम विलास पासवान : हम इनसे पूछ रहे हैं, यह किनसे पूछ रहे हैं ?

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : 267 में से 134 केसेज 1979-80 के अन्दर डिस्पोजड आफ हुए। 1095 सब-स्टैन्डर्ड मिले, जिनमें से 267 में प्रासीक्यूशन किया गया और उसमें से 134 का फैसला हो पाया है। आधे अभी तो उसमें से भी लटक रहे है। इसके लिए मैंने स्टेट्स को लिखा है हम उनसे कह रहे हैं कि इसमें तेजी करो, इन केसेज का फैसला कराइये, जहां सैम्पलों का एनालिसेज नही कराया है वहां एनालिसेज कराइये। मैंने यह बात कही है कि बहुत सी स्टेट्स में तो फैसिलिटीज ही नही है एनालाइज कराने की, लेबोरेटरीज ही नही है। कई स्टेट्स में तो एक भी लेबोरेटरी नही है। यह सारी दिक्कतें मैने अर्ज की है।

(व्यवधान)

श्री धनिक लाल मण्डल (झंझारपुर) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री जी ने हम लोगों से प्रशंसा की ख्वाहिश की है।

राव बीरेन्द्र सिंह : नही, नहीं। मुझे उम्मीद नहीं है आपसे।

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री जी ने यह भी कहा कि इस जांच का श्रीगणेश इन्होंने करवाया है।

श्री धनिक लाल मण्डल : इसीलिए तो, और उसी से हमको मैटीरियल मिला।

सभापति महोदय : जो नग्न सत्य उनके सामने आये हैं, उनको उन्होंने स्पष्ट रूप से सदन के समक्ष रख दिया है। इसलिए तो कम-से-कम उनकी तारीफ कीजिये।

एक माननीय सदस्य : आपने कर दी तारीफ, तो हो गई।

श्री धनिक लाल मण्डल: मैं माननीय मन्त्री जी की प्रशंसा जरूर करूंगा और करता हूँ कि किसानों के लिए उनको हमदर्दी है और जब से वह आये हैं, उन्होंने जरूर सर्वेक्षण का काम किया है। पूरे देश को 5 जोनों में बांटकर प्रत्येक के लिए एक सर्वे टीम नियुक्त कर स्टेट्स का जायजा लेने का उन्होने प्रयास किया है जिसकी वजह से हमें भी बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई है, इसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन अब जो वह लीपा-पोती कर रहे है, उस जानकारी को दबाने की कोशिश कर रहे है, ऐसा हम इस पक्ष के लोग होने नही देंगे। इतने सजग हम है और माननीय मन्त्री जी को इससे मदद मिलेगी। इनके जो प्रयास हैं कि किसानो को कोई ठगने न पाये, धोखा न देने पाये, इसमें हमारे जो प्रयास हो रहे हैं, इससे इनके हाथ मजबूत हो रहे है और इन्हें शक्ति मिलेगी। इसलिए इनको लीपा-पोती नही करनी चाहिए।

मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूँ कि अभी सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि स्पूरियस कीट-नाशक दवाओं से कितनी फसलों की क्षति हुई है। इसका इन्होंने क्यों नही सर्वेक्षण कराया? आज सरकार के पास छोटी-छोटी जानकारी नही है। सारी खबरें तो रहती हैं।

1980 की बात है कि प्रधान मन्त्री जी को ही कश्मीर के किसानों ने स्मारक-पत्र

दिया कि स्पूरियस ड्रग वह खुद सरकार के इन्सपैक्टरों के यहां से लाये और उसका उन्होंने छिड़काव किया और फसल बरबाद हो गई।

मन्त्री महोदय कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं है। ऐसी छुट-पुट घटनाओं की जानकारी मन्त्री महोदय को है, जो कि अखबारों से मालूम होती है। अगर वह और रेलायेबल इनफर्मेशन चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें नियमित जांच करवानी चाहिए बजाए इसके कि वह कह दें कि सरकार को कोई जानकारी नही है।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि जब लायसेंस दिये जाते हैं, तो और बातों के अलावा ह्यूमैन सेफ्टी और ऐनिमल सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है। हम लोग जानते हैं कि केरल में पांच लाख बतखों का ऐसी दबाओं के प्रयोग से सफाया हो गया। इस स्थिति में उन्हें यह कहकर इस मामले की लीपा-पोती नही करनी चाहिए कि सब कुछ ठीक है। मन्त्री महोदय ने यह कहकर टाल दिया है कि यह विषय राज्य सरकारों के अधिकार में है और हम उनको लिख रहे है। राज्य सरकारें इस मामले में कितनी दिलचस्पी ले रही हैं, वे कितनी सजग और जागरूक हैं, इसका पता खुद उनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है। मंत्री महोदय ने थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को दी है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं दी है। पूरी जानकारी अखबारों में आई है, मुझे मालूम नहीं कि वह कितनी सच है और कितनी झूठ है।

राज्य सरकारें इस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही हैं, इसका एक प्रमाण तो मंत्री महोदय ने इस प्रश्न के उत्तर में यह कह कर दे दिया है कि कितने सैम्पल इकट्ठे किए गए, कितने सैम्पलों का विश्लेषण किया गया, उनमें से कितने स्पूरियस पाए गए, कितने मामलों में पुलिस ने चालान किया, कितने मामलों को कोर्ट को परसू किया गया और सज़ा दिलाने की कोशिस की गई। स्वयं मंत्री महोदय ने कबूल किया है कि एक हज़ार मामलों की जाच हुई, 267 सैम्पल स्पूरियस निकले, उनमें से 134 मामलों में केस फाइल किए गए और 13, 14 मामलों में कनविक्शन हुआ। पता नहीं कि कोई कनविक्शन हुआ है या नहीं। इसका मतलब यह है कि एक हज़ार केसिज़ में एक भी कनविक्शन नहीं हो पाया है। इस तरह सरकार किसी भी काम को कैसे चला सकती है?

अगर हम यहां हाउस में ऐलान करें कि किसानों को ठगने नहीं दिया जायेगा और जो लोग नकली दवाएं बनाने के धन्धे में लगे हुए हैं, उन्हें सबक सिखाया जायेगा, तो वे खाली बातें होंगी—जिसको अंग्रेज़ी में हालो कहा जाता है। इन बातों का किसी पर कोई असर नहीं होगा। असर तब होता है, जब सरकार पूरी व्यवस्था करती है—सब सैम्पलों की जांच करवाती है, उनमें से जो सब-स्टैंडर्ड या स्पूरियस है, उनके बनाने वालों के खिलाफ़ ऐक्शन लेती है और उन्हें सजा दिलवाती है। लॉ एंड आर्डर और हरिजनों पर अत्याचार के मामले में हम यही मांग कर रहे है।

हम और आप जानते हैं—हम गांवों से चुन कर आए है, किसान के बेटे हैं और किसान के प्रतिनिधि हैं—कि जिले और ब्लाक के स्तर पर कोई इंस्पैक्टर वगैरह नहीं है। मंत्री महोदय कहते हैं कि उनकी एनफ़ोर्समेंट की एजेन्सी है।

सभापति महोदय : वह कहते हैं कि इसका प्रस्ताव है।

श्री धनिक लाल मंडल: मेरी बहुत सी बातों से मंत्री महोदय को मदद और शक्ति मिलेगी। एनफोर्समेंट का यंत्र, मशीनरी बहुत निकम्मी है। उसे जिले और ब्लाक के स्तर पर काम करना चाहिए। किसानों को भी सहयोग करना चाहिए। किसानों से अपील करनी चाहिए कि वे कीट-नाशक दवाओं का प्रयोग करें और अगर वे दवाएं सफल नहीं होती हैं, तो वे अधिकारियों को सूचना दें। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि यदि जांच के बाद कोई दवा स्पूरियस और सब-स्टेंडर्ड पाई जाए, तो बनाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। लेकिन कहीं कोई मशीनरी नहीं है, यह बात मंत्री महोदय ने खुद स्वीकार कर ली है। इस मामले से एनफोर्समेंट का भी उतना ही सम्बन्ध है। मंत्री महोदय ने पौध संरक्षकों के सम्मेलन में क्या कहा है ?

अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए माननीय मन्त्री जी ने पौध संरक्षण बिभाग, कीटनाशक विभाग तथा राज्य सरकारों के विभागों से कहा कि इस काम को मुस्तैदी से किया जाए अन्यथा केन्द्र को प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। मन्त्री जी ने यह बोलकर संतोष कर लिया और यह धमकी दे दी कि अगर वे काम नही करेंगे तो केन्द्र की तरफ से इनिशिएटिव लिया जायेगा। (व्यवधान) मैं मंत्री जी कहना चाहता हूं कि आपकी जो सर्वे रिपोर्ट है क्या वह इतनी तसल्ली देने के लिए काफी नहीं है कि राज्य सरकारें इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहीं हैं इसलिए केन्द्र प्रभावी कदम उठाये, यह समय आ गया है।

सभापति महोदय : आप सभी राज्य सरकारों के बारे में कह रहे हैं ?

श्री धनिक लाल मण्डल : सभी के बारे में रिपोर्ट आ गई है।

राव बीरेन्द्र सिंह : अपने बारे में नहीं कहना चाहते हैं।

श्री धनिक लाल मण्डल: अपने बारे में तो हालत और भी खराब है। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें एक तो सब-स्टैण्डर्ड का सवाल है यानी क्वालिटी को इंश्योर करना है। दूसरे इसमें जो मिलावट होती है उसको रोकने का सवाल है। तीसरे नकली दवायें तैयार कर दी जाती हैं और बेच दी जाती हैं—इसको रोकने का सवाल है।

सब-स्टैण्डर्ड दवाओं के बारे में मंत्री जी ने कहा कि लेबाटरीज खोली गई है, केन्द्र ने भी दो-तीन अनुसंधानशालायें खोली हैं तथा आगे भी खोलने का इरादा है। इसके होते हुए भी क्या वजह है कि 58 परसेन्ट दवायें सब-स्टैण्डर्ड निकलीं। मजे की बात यह है कि जो भारतीय मानक संस्थान है उनके पास हुए 46 नमूने लिए गए तो उसमें भी 21 सब-स्टैण्डर्ड निकले। इस तरह से यह जो आपका क्वालिटी कन्ट्रोल है उसकी हालत यह हो गई है कि वह 12 प्रतिशत पर पहुँच गया है तो आखिर आपकी घबराहट कम होगी ? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है। हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने देश के लिए 5 हजार करोड़ का कर्जा देने के लिए आई० एम० एफ० को दर्खास्त दे रखी है लेकिन इस देश में एक साल में ही 5 हजार करोड रुपए की बरबादी कीड़ों से हो जाती है। इसलिए यह एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर बहुत गम्भीरता के साथ विचार होना चाहिए।

मेरा प्रश्न यही है कि इस सम्बन्ध में जिला और ब्लाक स्तर पर किसानों को बचाने के लिए प्रभावी ढंग की मशीनरी का गठन करेंगे ? यदि करेंगे तो कब तक ? ताकि जो पीड़ित किसान हों वे वहां जाकर अपनी फर्याद कर सकें और इससे बच सकें। यदि राज्य सरकारों के भरोसे सारा मामला छोड़ देंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। मैं कोई अभियोग नहीं लगा रहा हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि समाज विरोधी लोग, पालिटीशियन्स और ब्यूरोक्रैट्स—इन तीनों का एक त्रिकोण बन गया है। चूंकि आप किसानों के हितों के प्रति बड़े सजग हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको करवायें, सभी मामलों में जांच हो और कार्यवाही हो। केवल यह कह देना कि यह राज्यों का मामला है, उचित नहीं होगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : पहली बात तो मैं मंडल जी को यह बतलाना चाहूंगा कि जो 24000 सैम्पल्ज़ इकट्ठे किये गये थे, उन में से 1 हज़ार 95 की जांच करवाई गई, उन में से सिर्फ 267 कैसेज़ में प्रोसीक्यूशन कराया गया—ये सारे आंकड़े 1979-80 के हैं.......

श्री धनिक लाल मंडल :—1980-81 के भी हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : ये उस वक्त के आंकड़े हैं जब यहां मंडल जी की सरकार थी और ये होम मिनिस्ट्री में बैठे थे। लेकिन ये अब इस सरकार की होम मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं।

केरल के बारे में इन्होंने कहा कि लाखों बत्तखें मर गईं। हमारे पास ऐसी कोई इत्तिला नहीं है कि केरल में कीटनाशक दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल किये जाने से या गलत दवाइयां होने की वजह से इतनी तादाद में बत्तखें मरीं या जानवरों को नुकसान हुआ। लेकिन अगर वह केरल की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मैं उन्हें बतला देता हूं। केरल में 1979-80 में 970 सैम्पल्ज़ की जांच कराई गई, जिन में से 140 सब-स्टैण्डर्ड मिले। लेकिन एक केस में भी प्रासीक्यूशन नहीं कराया गया।

अब आप बिहार की भी सुन लीजिये। जब आप होम मिनिस्ट्री में थे तो वहां पर आप की सरकार थी। 1979-80 में उन्होंने कोई सैम्पल कलैक्ट नहीं किया, जब कि उनको कायदे के मुताबिक 1800 सैम्पल्ज़ कलैक्ट करने चाहिये थे। ऐसी हालत में न जांच का सवाल पैदा होता है और न प्रासीक्यूशन का सवाल पैदा होता है। आप ने सब को माफ कर दिया, कोई कुछ भी बेचे।

सभापति महोदय : बिहार में इन्हीं की पार्टी की सरकार थी।

राव बीरेन्द्र सिंह : जी हां, इन्हीं की सरकार थी और ये यहां होम मिनिस्ट्री में बैठे थे और प्रासीक्यूशन कराने का काम इनके ज़िम्मे था।

हम कोई चीज छुपाना नहीं चाहते हैं, चाहे आपकी हो, हमारी हो या किसी दूसरे की हो, सारे आंकड़े आपके सामने पेश कर देंगे। आप चाहते हैं कि सर्वे टीम्ज की जितनी रिपोर्ट हैं हाउस के टेबिल पर रख दूं, तो रख दूंगा, इनका हिन्दी में तर्जुमा कर देता हूं। आप के सामने सारी चीजें आ जायेंगी। आप एक-एक स्टेट का पूरा ब्यौरा ले सकते हैं, आप मदद कीजिये कि वहां पर काम ठीक से हो।

कुछ दोस्तों ने कहा कि सब्सिडी दी जाती है—भारत सरकार की तरफ से दवाई बनाने वालों को कोई सब्सिडी नही दी जाती है। सब्सिडी दी जाती है—किसानो को। जब दवाइयां बेची जाती है उसके लिए सब्सिडी दी जाती है। लेकिन बनाने वालो को हम कोई सब्सिडी नही देते है। एक यह है कि फसलों पर हवाई जहाज दवाओं का छिड़काव करते है उसमें सब्सिडी दी जाती है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : किसान को जो सब्सिडी आप देते है, उसमें दवा बेचने वाले कीमते बढ़ा कर दवा बेचते है, इसलिए वह सब्सिडी आटोमेटिकली उनके पास चली जाती है।

राव बीरेन्द्र सिंह : वह कहां पहुँचती है उसकी आप भी जाच करे, हम भी कोशिश कर रहे है।

इसके अलावा मण्डल जी ने कोई नई बात नही कही है... ..

श्री धनिक लाल मण्डल : मशीनरी के बारे में—डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लाक लेवल पर मशीनरी होनी चाहिए।

राव बीरेंद्र सिंह : पहले स्टेट मे तो शुरू करे, ब्लाक और डिस्ट्रिकट लेवल तक भी पहुँच जायेगे। सब से पहले तो अपने यहां की सरकार को कह कर काम ठीक करायें, वे एनालिसिज करें, प्रासीक्यूशन करे, जो हो रहा है उसको तनदेही से करें। जहां तक हमारा ताल्लुक है – हम अलग जाच के लिए, सुपरविजन के लिए मानिटरिंग के लिए रिजन्ज मे अपने महकमे भी कायम कर देगे। हम इस मामले मे हर तरह से मदद देना चाहते है।

श्री भीकू राम जैन : (चांदनी चौक) : सभापति महोदय, थोड़ी देर से जो डिस्कशन हो रहा है, इस मे मण्डल जी ने हरिजनों, आई० एम० एफ० का लोन और बहुत सी दूसरी बातों का जिक्र कर दिया। असल बात यह है कि ....

सभापति महोदय : प्रसगवश कह दिया है।

श्री भीकू राम जैन : जानबूझ कर कहा है, चूंकि फाइनैन्स मिनिस्टर साहब यहां बैठे थे, इसलिए कहा है।

सभापति महोदय : यह आदत की बात होती है।

श्री भीकू राम जैन : जी हां, आदत की बात है।

दो रोज पहले दिल्ली के बार्डर पर एक ऐसी फैक्टरी का पता चला जो किसी दूसरे मैन्यूफैक्चरर के नाम डिब्बे बना कर पैस्टीसाइड्स बेच रही थी।

दो प्रकार की डिफीकल्टीज है। एक तो यह है कि स्पूरियस आर्टीकिल्स बिकती है और दूसरे यह है कि एडलट्रेटेड आर्टीकिल्स बिकती है। एडलट्रेशन के बारे में तो मंत्री महोदय ने जिक्र किया है कि इस तरह की टीम्स बनाई जा रही है और यह किया जा रहा है और वह किया जा रहा है लेकिन इस बात का जिक्र नही आया कि ये जो स्पूरियस आर्टीकिल्स बिकती है, इनके बारे मे क्या किया गया है। स्पूरियस की परिभाषा मैं यह समझता हूं कि एक विशेष ब्रौंड की चीज है और कोई दूसरा आदमी उसमें कोई घटिया चीज़ मिला कर बेच दे। तो यह जो धोका हो रहा है और जिसकी तरफ

मुझे लगता है, मंत्री महोदय का ध्यान अभी आकृष्ट नहीं हुआ है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक विशेष ब्रांड की एक फैक्टरी में प्रिंटिंग करा कर, जिसके 3 हजार टिन वहां मिले हैं और 1700 टिन ऐसे थे, जिनमें माल भरा हुआ है, इसके लिए क्या इलाज किया जा रहा है, यह नहीं बताया गया है और अभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। यह जो स्पूरियस शब्द है, इसके माइने गालिबन यह हैं कि एक जानी-पहचानी चीज़ जो एक ब्रांड से बिकती है, दूसरा कोई आदमी दूसरी घटिया चीज़ उस ब्रांड के नाम से बेचे, जोकि असल में उस मैनूफेक्चरर की नहीं है। आपको याद होगा कि न सिर्फ पेस्टीसाइड्स के अन्दर वल्कि खाने-पीने की चीजों के अन्दर, जो टिन्ड फ्रूट्स होते है और इस प्रकार की दूसरी चीजें हैं, उनको एक दूसरा आदमी बना कर धोके से बेचता है तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ऐसी स्पूरियस आर्टीकिल्स के विषय में क्या उन्होंने कोई कदम उठाए है और अगर उठाए हैं तो उन्हें बताने की कृपा करें।

एक चीज और दर्ज करना चाहता था। यह जो फैक्टरी पकड़ी गई, यह उस मैनू-फैक्चरर की शिकायत पर पकड़ी गई, जिस के नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति माल बना रहा था और चार महीने से बडे-बड़े टिनों में और बड़े-बड़े ड्रमों में उनको भेज रहा था, जो कि पकड़े गए हैं और इसके लिए आपने प्रशंसा की है· दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की कि उन्होंने बड़ा इफे-क्टिव कदम उठाया है। मेरी प्रार्थना आप से यह है कि जब सामने बड़े-बड़े टिन एक फैक्टरी से निकल कर आते हैं और उन पर ब्राण्ड का नाम छपा होता है और वह माल दिल्ली में नहीं बनता है और फिर वे दूसरी जगहों पर जाते हैं और वहां पर एडलट्रेटेड चीज भरी जाती हैं और वह पकड़ी नहीं जातीं, तो क्या फिर पुलिस प्रशंसा के काबिल है? उस ब्रांड के मैनूफैक्चरर के कहने पर जब यह काम किया गया तब वह फैक्टरी पकड़ी गई, यह इसमें कहा गया है। तो इनमें कौन सी चीज सही है। अगर उस आदमी ने फालो-अप एक्शन करके, खुशामद कर के या जो कुछ भी किया होगा, वह कर के क्योंकि उसका नाम बदनाम हो रहा था, यह चीज कराई, तो जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डाइरेक्टर्स हैं या जो इन्स-पेक्टर्स है या बी॰ डी॰ ओज हैं, जिनके लिए यह सामान बनाया जा रहा था क्यों कि उस में यह लिखा है कि यू॰ पी॰ गवर्नमेंट के हेतु, फोर दि यूज आफ यू॰ पी॰ गवर्नमेंट, 4 महीने से यह सामान बन रहा था, तो ये जो तमाम हमारे अधिकारी हैं, वे इस चीज को नहीं देख रहे थे। यू॰ पी॰ गव-र्नमेंट के लिए वह चीज बन रही थी और डिब्बों पर भी लिखा हुआ था और ज्यादा-तर माल यू॰ पी॰ में जा रहा था, मुजफ्फर नगर में भी अधिकारी थे, फिर भी यू॰ पी॰ गवर्नमेंट इसको नहीं देख पाई हालांकि चार महीने से यह माल बन रहा था, तो यह कैसा इन्तजाम है? एग्रीकल्चर के इन्त-जाम में अगर चार-चार महीने तक इस तरह की चीज बिकती रहे, जिसको स्पूरियस कहते हैं, तो फिर जाहिर है कि आप का निजाम किसानों की मदद करने वाला नहीं है। इन्सपेक्टरों का काम न केवल उन आद-मियों का पकड़ने का है, जो इस तरह का स्पूरियस और एडलट्रेशन का काम करते है, ऐसी चीजें बेचते है वल्कि किसानों की मदद करने का भी है लेकिन वे चार महीने से चल रहे इस धोखेबाजी के काम का पता नहीं लगा पाए।

एक बात और मैं यह कहना चाहता हूं कि आप के इस स्टेटमेंट में यह लिखा है :

'Attention of the Government has been drawn to a news item regarding a spurious pesticides racket in Delhi appearing in some sections of the press as a result of which cotton crop worth lakhs of rupees is alleged to have been "ruined" in some Northern States.'

और दूसरे पेज में यह लिखा है कि सरकार के पास ऐसी कोई खबर नहीं है .

'Government have not rceeived any report regarding any large scale damage to cotton or to any other crop by use of spurious pesticides'.

इन दोनों बातों में से कौन सी बात सही है ।

If you are giving the dog a bad name, hang it.

जब आप कहते है कि लाखों रुपये की फसल का नुकसान हो गया, तो Those men should be brought to book. अगर कोई नुकसान नही हुआ है और आप के पास ऐसी रिपोर्ट नही है, तो फिर यह हल्ला किस चीज के लिए है। मेरी प्रार्थना यह है कि ये जो स्पूरियस आर्टीकल्स बन रही है, न सिर्फ पेस्टीसाइड्स या इनसेक्टीसाइड्स या और कोई चीज, जो किसान के काम आती है बल्कि खाने-पीने की जो चीज बन्द डिब्बों में बिकती है, उन के बारे में भी आप सोचे। उनके प्रति आप का रुख क्या है, यह आप बताएं।

मुझे एक बात और अर्ज करनी है। थोड़े दिनों पहले जो यूरिया इम्पोर्ट हुआ था वह इम्पोर्टिड यूरिया यहा के इम्पोर्टेट मेन्युफेक्चरर की बोरियों में उनके ब्रांड से बेचा गया था। क्या इस तरह की रिपोर्ट भारत सरकार के पास आयी है ? इस तरह के वाकयात पहले भी हुए है। एक इण्डियन मेन्युफेक्चरर के ब्रांड से यह इम्पोर्टिड यूरिया बेचा गया था। यह जो स्पूरियस आर्टिकल्स बेचने की प्रथा चल रही है और चार महीने से भी ज्यादा, काफी अर्से से चल रही है उसमें सरकार ने क्या कदम उठाये है मैं यह जानना चाहता हूँ कि खाने-पीने की चीजो से सम्बन्धित जो चीजें है उनके विषय में अभी तक कोई कदम क्यों नही उठाये गये है ?

जो मिक्सड और स्पूरियस आर्टिकल्स बराबर बाजार में आ रहे है और बिक रहे है उनमें बेचने वाले का कसूर नही है, कसूर तो मेन्युफेक्चरर का है। अगर दोनों में सांठ-गांठ हो गयी है तो वह दूसरी बात है। लेकिन क्या आपके पास इसको रोकने के लिए कायदा है या नही यह बताइये ? एडलट्रेटिड चीज को बेचने के लिए तो आप के पास कानून है। स्पूरियस डिब्बे बना कर बेचने पर भी 420 के अलावा और कोई कायदा क्या आपके पास है ? अगर नही है तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर कदम उठाया जाए और ऐसी चीजे ताकि फिर मार्किट में न आये।

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य ने दो-तीन बाते पूछी है। काल अटेंशन का विषय कुछ और था और हम कुछ दूसरी बातों में चले गये। यह मोशन एक खास वाकये से ताल्लुक रखता है। कुछ गलत दवाइयां पकड़ी गयी, गलत मार्के के साथ कुछ डिब्बे पकड़े गये उनके बारे में मैं यह तो मानता हूं कि हमारे एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट के लोग इस बात पर निगाह रखते और जो सेम्पल उठाने का काम था, दवाइयों को

देखने का काम था अगर वह बराबर चले तो यह चीज किसी से ज्यादा छिपी नहीं रह सकती है ।

इसका दूसरा तरीका यह है कि जब इन को इस्तेमाल करने वाला इनके बारे में शिकायत करे तो तब यह बात सामने आती है । लेकिन पुलिस के काम की हम केवल इसलिए सराहना न करें कि किसी ने शिकायत की तो पुलिस ने कार्यवाही की, यह ठीक नहीं होगा । अगर किसी कम्पनी की शिकायत पर पुलिस ने फौरी तौर पर कार्यवाही की और कदम उठाया और उन लोगों को पकड़ा तो सराहना का काम किया । चूंकि अभी तक जांच जारी है, इस लिए इस मामले में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता ।

जुर्म तो जुर्म है । चाहे वह बेचने वाले ने किया हो, चाहे बनाने वाले ने किया हो, चाहे दोनों की मिली भगत से हुआ हो । अगर कोई आदमी चोरी करता है और चोरी करने की नीयत से जाता है और पकड़ा जाता है, लेकिन वह चोरी नहीं कर पाता है फिर भी उसकी नीयत से जुर्म तो साबित हो जाता है । जैन साहब ने कहा कि एक का कसूर है और दूसरे आदमी को उन्होंने अलग कर दिया ।

श्री भीकू राम जैन : मैंने कहा कि दो आदमी ऐसा कर रहे हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : दो आदमी हों या पचास आदमी हों, जिनका जुर्म साबित होगा तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए । अगर कोई चोरी का माल ला कर बेचता है तो वह भी जुर्म करता है । उसका भी फर्ज है कि वह यह जाने कि यह माल किस का है, कहां से आया है, चोरी का तो नहीं है । यह बात बेचने वाले को पता होनी चाहिए कि इस माल की क्वालिटी कैसी है । चाहे उसका माल गलत हो, चाहे उसका डिब्बा गलत हो, चाहे उसका मार्का गलत हो वह सारी चीजें पकड़ में आ जाती हैं । इस बारे में कायदे कानून में कोई कमी नहीं है । कमी इम्प्लीमेन्टेशन में होगी जिसको दूर करने की कोशिश हम कर रहे हैं ।

नुकसान का अभी अन्दाजा नहीं बताया जा सकता है । नुकसान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जुर्म तो जुर्म रहेगा । अगर किसी ने किसी को मारने की नीयत से किसी के सिर पर गोली चलायी, और वह गोली उसके सिर पर से गुजर गयी तो इससे गोली मारने वाला बेकसूर तो नहीं हो सकता । अगर किसी ने गलत दवाएं किसानों को बेचीं और उनसे उनका नुकसान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बेचने वाला तो कसूरवार है और उसको सजा मिलनी चाहिए ।

अभी हम अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितनी दवाएं बेचीं गयीं और कितना नुकसान हुआ । काटन क्लाथ आने पर पता चलेगा । आज कहना मुश्किल है ।

यह तो आप खुद मानते हैं कि तीन-चार महीने से काम चल रहा था । अगर तीन-चार महीने से ये दवाएं इस्तेमाल हो रही थीं तो उसका पता तो फसल के बाद ही चलेगा । इसका अन्दाजा अभी नहीं लगा सकते हैं कि कितनी दवाएं बिकीं । इस मामले में चाहेंगे तो इस केस की पैरवी कराते रहेंगे, जानकारी भी कराते रहेंगे ।

बहरहाल यह केस सामने आया है और ऐसे और केस भी हो सकते हैं -- हम इस बात को मानकर चलते हैं कि मिलावट होती है । आज इन्सान की लाइफ सेविंग दवाइयों के अन्दर मिलावट चल रही है तो

ये तो खेती के काम में आने वाली दवाइयां हैं। इसलिए हम कानून को बहुत सख्त करना चाहते हैं और आपके सामने दूसरा कानून भी पेश कर रहे हैं।

मुझे खुशी है कि सदन का ध्यान इस ओर गया है और सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है और सदस्यों के खयालात को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि यह मामला इतने सही तरीके से चले कि आइन्दा कभी किसी को नुकसान न हो, इस देश की फसलों को नुकसान न हो।

MR. CHAIRMAN : Now the House stand adjourned till 2 O'clock.

13.00 hrs.

THE LOK SABHA ADJOURNED FOR LUNCH TILL FOURTEEN OF THE CLOCK.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

SHRI GULSHER AHMED *in the Chair*.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*Contd.*

Reported manufacturing and marketing of Spurious Pesticides—Contd.

MR. CHAIRMAN : Shri Janardhana Poojary may speak.

SHRI JANARDHANA POOJARY (Mangalore) : At the very outset today I must, on behalf of the House, congratulate the Minister for his bold statement in the House. He has not concealed any facts. On the contrary, he has gone to the extent of exposing the State Governments, the officers concerned and the big industries who have gone against the interest of the poor farmers of this country.

Sir, as you know, agriculture is the best interest of the country and unfortunately 15 to 20 per cent of the agricultural produce is destroyed by weeds and pests. The industry, particularly this pesticide industry, has got a big responsibility and I do not know whether our Government is aware of the fact that this big industry has not played its role effectively. Sir, today the pesticides which are supplied and used in the fields are sub-standard. The Government of India has sent out a survey team and it has submitted its report. The Survey-Team has come out with its startling disclosures. It has been mentioned in the Survey Team Report that the pesticides which are used in the fields are ineffective and the State Governments are not evincing any interest in enforcing the Central Insecticide Act. Not only that. It has gone to the extent of saying that the State Governments are not having any proper arrangements to maintain quality control. That is the finding of this Survey Team. So, may I know from the Hon. Minister whether the Government has taken any steps to maintain quality control and if so, how effectively it has been done so far ?

The Hon. Minister in his reply has stated that some laboratories in order to check the quality control have been started. I would like to know whether these laboratories are sufficient in order to have effective control over the quality of pesticides.

Coming to the pesticides which are being produced in our country, as you know, today's *Times of India* carried a certain news item. According to this news item, in this country there are pesticides which are causing cancer. Two persons who have used this white powder for controlling pests have been admitted in the hospital and according to the finding of the doctors, these persons

are suffering from cancer. So, from this fact it is very clear that in this country there are pesticides which can cause cancer. I may draw your attention to a reported item of news as disclosed by the *Times of India*. It has gone to the extent of saying—

> "World Health Organisation has estimated over 5 lakh people-victims of deadly chemicals every year—in the Third World Countries such as India, Pakistan, Philipines, Indonesia and other Latin American countries."

But what is happening in this country? According to this Report certain banned pesticides, which are banned in the United States and other foreign countries, are being used. They are being permitted to be imported to India and they are freely used in this country. May I know from the Hon. Minister whether the Government of India is aware of this fact ? If so, what action has been taken to prevent the import to these banned pesticides inside this country ? Not only that, there are twelve pesticide manufacturing concerns in Gujarat which are manufacturing this pesticide. In addition to that six letters of intent have been issued and five licences have been issued to new concerns. We are told that some of these concerns are at the implementation stage. I am further told that some of these concerns are manufacturing the banned insecticides in this country. Is the Government aware of this fact? If so, what action is going to be taken against those manufacturing concerns, against production of these banned pesticides ? Is Government going to revise its pesticides policy. Is Government bringing a comprehensive legislation so as to provide for deterrent punishment against these people who are having cynical disregard to humun life and who are in pursuit of the financial benefits So, my submission is unless we take stringent action, unless we make these offences as non-bailable offences, I do not think that these people will be in aposition to pay heed to the request of the Minister.

I must congratulate the Minister for having come out with a bold statement. He has gone to the extent of saying that there are black sheep among these manufacturers and these black sheeps must be weeded out. I fully endorse the views of the Hon. Minister. He must take action and the entire House must co-operate with the Minister for taking action against these people.

MR. CHAIRMAN : Shri Ananda Pathak.

He is not there.

SHRI RAO BIRENDRA SINGH: Shri Poojary has asked about the capacity of the laboratory.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : You may acknowledge the congratulations first.

SHRI RAO BIRENDRA SINGH: I will thank him privately and separately.

As I have already said, capacity to the extent of ability to analyse one sample per metric tonne of pesticides in technical way used is to be established in the country. At present the capacity is only for dealing with 32,000 samples.

The consumption during the year has now gone up to 58,000 tonnes. On that basis, we need at least a capacity for dealing with 58,000 samples during the year. That way, the capacity is far short in our laboratories than the capacity required for implementing the law and the rules. We need 22,000 more samples to be analysed in our laboratories. As I said, some of the States have no laboratory at all set up so far. We will now see that every State has the required capacity installed.

A reference has been made to a report purported to have come from

the World Health Organisation that 58,000 people have died on account of injurious effects of certain insecticides which are being produced in this country also. I have checked up. There is no such report from the World Health Organisation. A study appears to have been conducted by some organisation in California, in the United States. The World Health Organisation on this basis has not banned the use of DDT, BHC and Methalene, so far as I know. It is, therefore, not correct that banned items are being produced in the country and that we are issuing licences for manufacture of such items.

He also talked of some licences being given to multi-nationals. There are only 14 multi-national companies producing insecticides and pesticides in India. As against that, there are 712 indigenous industries in the small-scale sector. Apart from that, there are 34 large industrial houses in the business and 14 Agro- Industrial undertakings in the public sector in India which are producing or formulating insecticides and pesticides.

I am thankful to the Hon. Member for the assurance that he and other hon. members in the House have given, as he has appealed to them, to extend all the support to the Government in eradicating this evil which is causing great harm to the national interest and to the farmers. I agree with him that the farmers' interest need to be watched. The farmer is illiterate and he has not been able to organise any consumer resistance so far. It becomes the duty of the Government as well as the duty of the hon. Members who represent the people to try and protect the farmers' interest to the best of their capabilities. I assure the House that the Government is fully aware of its responsibility.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 24th August, 1981, will consist of :—

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

2. Discussion on the Resolutions seeking dis-approval of the Ordinances and consideration and passing of the following Bills in replacement of them :—

   (a) The Compulsory Deposit Scheme (Income-Tax Papers) - Amendment Bill, 1981.

   (b) The Customs Tariff (Amendment) Bill, 1981.

   (c) The Delhi University (Amendment) Bill, 1981.

3. Consideration and passing of ;—

   (a) The British India Corporation Limited (Acquisition of Shares) Bill, 1981.

   (b) The Dalmia Dadri Cement Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill, 1981.

4. Further consideration and passing of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1981, as passed by Rajya Sabha.

5. Consideration and passing of —

(a) The Anti-Apartheid (United Nations Convention) Bill, 1980,